भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*31
बुधवार, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 (शक)

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में सृजित रोजगार

*31. श्री बिनोय विश्वमः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में कितनी नौकरियों का सृजन किया गया;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में क्षेत्र-वार सृजित नई नौकरियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) उन आंकड़ों का नवीनतम स्रोत क्या है जिससे सरकार के इस दावे की पुष्टि होती है कि उसने नए रोजगार का सृजन किया था;
(घ) क्या सरकार ने विगत साढ़े चार वर्षों के दौरान रोजगार, बेरोजगारी और बाजार की स्थिति के संबंध में आंकड़ों के वार्षिक प्रकाशन को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।
*

श्री बिनोय विश्वम द्वारा "औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में सृजित रोजगार" के बारे में पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *31 के दिनांक 06.02.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने, अन्य के साथ-साथ, स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 25 जनवरी, 2019 तक इस योजना के तहत कुल 15.59 करोड़ ऋणों को संस्वीकृत किया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु 3 वर्षों के लिए ईपीएफ एवं ईपीएस के नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। इस योजना में दिनांक 28.01.2019 तक 1.30 लाख प्रतिष्ठानों तथा 1.05 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया गया।

सरकार देश में औद्योगिक विकास, पूंजी निर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाती रही है, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया तथा व्यापारिक पहलों को सुगम बनाना। सरकार ने व्यापार करने को आसान बनाने, अनुपालन को सुकर बनाने, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा असंगठित कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के लिए एक समर्थकारी वातवरण सृजित करने हेतु श्रम सुधारों को आरंभ किया है।

(घ) एवं (ङ): देश में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति का निर्धारण करने के लिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रोजगार एवं बेरोजगारी पर श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी रोजगार-बेरोजगारी पर सर्वेक्षण आयोजित करता है तथा पिछला उपलब्ध परिणाम 2015-16 हेतु है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने सावधिक श्रमबल सर्वेक्षण को (पीएलएफएस) प्रारंभ किया है। सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य प्रमुख श्रमबल संकेतकों, जैसे कि श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) तथा शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर (यूआर), के साथ-साथ ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न श्रमबल संकेतकों के तिमाही परिवर्तनों को मापना है।

*****